N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S.)
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. District (ज़िला): जांजगीर चाम्पा P.S.(थाना): चाम्पा Year(वर्ष): 2025

FIR No(प्र.सू.रि. 0450 Date & Time of FIR (एफआईआर की तिथि / समय): 03/10/2025 15:04 बजे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धारा(एँ))
1	भा द सं 1860	420
2	भा द सं 1860	467
3	भा द सं 1860	468
4	भा द सं 1860	471
5	भा द सं 1860	34

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन):दरमियानी Date From(दिनांक से): 15/01/2015 Date To(दिनांक तक): 26/05/2020

Time Period (समय अवधि): Time From (समय से): 00:00 बजे Time To (समय तक): 00:00 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 03/10/2025 Time (समय): 15:04 बजे

(c) General Diary Reference (रोजानामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 008 Time (समय): 03/10/2025 15:04:00 बजे

4. Type of Information(सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल

1. (a) Direction and distance from P.S (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 1 किमी Beat No (बीट सं.)

(b) Address (पता): HDFC बैंक चांपा एवं जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक चांपा तथा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बम्हनीडीह

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (ज़िला(राज्य)):

Scanned with OKEN Scanner

6. **Complainant / Informant** (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) **Name(नाम):** आवेदक राजकुमार शर्मा की ओर से निरीक्षक जय प्रकाश गुप्ता

(b) **Father's Name** (पिता का श्री एस0डी0 गुप्ता

(c) **Date/Year of Birth** (जन्म तिथि /वर्ष): 1982 (d) **Nationality** (राष्ट्रीयता): भारत

(e) **UID No** (यूआईडी सं.):

(f) **Passport No.** (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue** (जारी करने का स्थान):

(g) **Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN)**

S.No. (क्र.सं.)	Id Type(पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number(पहचान संख्या)

(h) **Occupation** (व्यवसाय): पुलिस अधिकारी

(i) **Address**(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	थाना चांपा , चाम्पा, जांजगीर चाम्पा , छत्तीसगढ़, भारत
2	स्थायी पता	थाना चांपा, चाम्पा, जांजगीर चाम्पा , छत्तीसगढ़, भारत

(j) **Phone number** (दूरभाष न.): **Mobile** (मोबाइल न.): 91-9479193108

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars** (ज्ञात/ संदिग्ध /अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias(उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)	
1	बालेश्वर साहू			1. प्रबंधक सेवा सहकारी समिति, बम्हनीडीह, बम्हनीडीह , जांजगीर चाम्पा , छत्तीसगढ़,भारत	1. प्रबंधक सेवा सहकारी समिति, बम्हनीडीह, बम्हनीडीह ,जांजगीर चाम्पा ,छत्तीसगढ़, भारत
2	गौतम राठौर			1. सेवा सहकारी समिति बम्हनीडीह, चाम्पा,जांजगीर	1. सेवा सहकारी समिति बम्हनीडीह, चाम्पा,जांजगीर

Scanned with OKEN Scanner

				चाम्पा ,छत्तीसगढ़, भारत	चाम्पा ,छत्तीसगढ़, भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

शिकायत जांच पर से

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(संबन्धित सम्पत्ति का विवरण (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Type of Property (सम्पत्ती के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))
1	अन्य	विविध	राजकुमार शर्मा तथा आवेदक की मां जैतीन शर्मा एवं आवेदक की पत्नी रीता शर्मा के खाता से जुमला रकम 42,78,000/- (व्यालिस लाख अठत्तर हजार रूपये)	42,78,000.00

10. Total value of property stolen (In Rs/-) 42,78,000.00
(चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य (रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any
(मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू०डी०प्रकरण न०, यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी.संख्या)

12.First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य (यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

मै थाना चांपा मे निरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हू कि पुलिस अधीक्षक महोदय जांजगीर की सदरी शिकायत क्रमांक /M/5834-A दिनांक 14/07/25 का विधिसंमत जांच की गई जांच पर पाया गया कि द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा चांपा एवं शाखा बम्हनीडीह से आवेदक राजकुमार शर्मा का खाता क्रमांक 606027016956 एवं इसकी पत्नी श्रीमती रीता शर्मा का खाता क्रमांक 6060446812515 तथा आवेदक की मां जैलीन शर्मा का खाता क्रमांक 606046808268 संचालित चला आ रहा है। अनावेदक बालेश्वर साहू जो सेवा सहकारी समिति बम्हनीडीह का प्रबंधक था एवं गौतम राठौर सेवा सहकारी समिति बम्हनीडीह एवं चांपा में विक्रेता था। अनावेदक बालेश्वर साहू आवेदक के गांव का होने से आपस में बहुत अच्छा संबंध था। आवेदक के पास लगभग 50 एकड़ जमीन मां, पत्नी की सामिलात खाता में होने से अनावेदक बालेश्वर साहू आवेदक राजकुमार शर्मा को बैंक से किसान क्रेडिट लोन लेने की सलाह देकर बोला की सरकार कम ब्याज लेती है और कभी-कभी ऋण मांफ कर देती है। अनावेदक के बातो पर आवेदक को विश्वास होने से अनावेदकगणों के मांगने पर अपना व अपनी मां एवं पत्नी का बैंक पासबुक, खेत का ऋण पुस्तिका अनावेदक को दे दिया था, कुछ दिन बाद अनावेदक अपने साथी गौतम राठौर को लेकर आवेदक के घर आकर बोला कि जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में कम लोन मिलेगा चांपा एच.डी.एफ.सी. बैंक से ज्यादा लोन मिल जायेगा। एच.डी.एफ.सी. बैंक चांपा में आपका खाता खुलवा देते है। आवेदक द्वारा सहमति देने पर अनावेदकगण द्वारा एच.डी.एफ.सी. बैंक के कर्मचारी को आवेदक के घर लाकर बैंक का खाता खोलने की प्रक्रिया पूरी किये, कुछ दिन बाद अनावेदकगण द्वारा एच.डी.एफ. सी. बैंक का चेक बुक आवेदक के घर लेकर आये और बोले कि गारंटी के रूप में 5 - 5 ब्लैक चेक (कोरा) जमा करना पड़ेगा। जिस पर आवेदक द्वारा पांच चैक करेंट एकाउंट और पांच चैक सेविंग एकाउंट का हस्ताक्षर करके दे दिया। लोन कब बैंक से मंजूर

Scanned with OKEN Scanner

हुआ अनावेदकगणों द्वारा आवेदक को नही बतायें। दिनांक 22.05.2019 को एच.डी.एफ.सी. बैंक चांपा के खाता क्रमांक 50100283840532 एवं 50200038720503 को 16,30,000/-रू. को अनावेदक बालेश्वर साहू अपने खाता में एवं 7,50,000/- रू. आशा बालेश्वर साहू के द्वारा आहरण किया गया है। आवेदक को जब पता चला तो अनावेवक बालेश्वर साहू के घर जाकर पूछा कि तुम लोग पैसा निकाल लिए मुझे बताये भी नहीं मेरा पैसा मुझे वापस कर दो बोला तब अनावेदक द्वारा बोला गया कि बैंक के दर से व्याज सहित छः माह के अंदर आपका पैसा वापस कर देंगे। गौतम राठौर के विधायक चुनाव में खर्च कर दिये है। आवेदक के बार-बार अपना पैसा मांग करने पर टाल मटोल करते रहे, कुछ दिन बाद आवेदक राजकुमार शर्मा को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा चांपा एवं बम्हनीडीह के बैंक कर्मचारियों द्वारा फोन करके पूछा गया कि बालेश्वर साहू समिति प्रबंधक एवं विक्रेता गौतम राठौर को पैसा निकालने के लिए आप लोग भेजते हो क्या ? तब आवेदक राजकुमार शर्मा को शंका होने पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक चांपा एवं बम्हनीडीह शाखा जाकर पता किया तो पता चला कि अनावेदकगणों द्वारा आवेदक राजकुमार शर्मा के खाता क्रमांक 606027016956 से दिनांक 15.01.2015 को 51,000/-रू, दिनांक 27.01.2015 को 66,000/-रू., दिनांक 07.02.2018 को 14,900/-रु., दिनांक 17.04.2018 को 1,99,000/- रू., दिनांक 15.02.2019 को 35,000/- रू., दिनांक 24.01.2020 को 90,000/- रू., दिनांक 13.05.2020 को 70,000/-रु., दिनांक 26.05.2020 को 27,000/- रू. कुल 5,52,900/-रूपये तथा आवेदक की मां जैतीन शर्मा क्रा खाता नम्बर 606046808268 से दिनांक 22.01.2016 को 1,03,000/- रु., दिनांक 06.03.2017 को 50,000/-रु., दिनांक 07.03.2017 को 50,000/-रु., दिनांक 20.03.2017 को 6700/-रु., दिनांक 18.07.2017 को 33,000/-रु., दिनांक 06.02.2018 को 12,400/-रु., दिनांक 17.04.2018 को 80,000/-रु., दिनांक 08.06.2018 को 25,000 /-रु., दिनांक 15.02.2019 को 1,50,000/-रु., दिनांक 03.04.2019 को 35,000/-रु., दिनांक 24.01.2020 को 70,000/-रु., दिनाक 13.05.2020 को 35,000/-रु., दिनांक 26.05.2020 को 13,000/-रु. कुल रकम 6,63,100 /-रु. तथा आवेदक के पत्नी श्रीमती रीता शर्मा के खाता क्रमांक 6060446812515 में से दिनांक 06.02.2018 को 49,000/-रु., दिनांक 17.12.2018 को 2,00,000/-रु., दिनांक 01.01.2019 को 1,33,000/-रु., दिनांक 03.04.2019 को 76,000/-रु., दिनांक 24.01.2020 को 1,99,000/-रु., दिनांक 26.05.2029 को 25,000/-रु. कुल रकम 6,82,000/- रूपये कुल जुमला रकम 42,78,000/-(व्यालिस लाख अठत्तर हजार रूपये) आवेदक राजकुमार शर्मा तथा आवेदक की मां जैतीन शर्मा एवं आवेदक की पत्नी रीता शर्मा का फर्जी अंगुठा हस्ताक्षर लगाकर निकासी पर्ची आहरण किये है। अनावेदकगणों द्वारा दिनांक 24.01.2020 के निकासी पर्ची में अनावेदक का मोबाईल नम्बर भी दर्ज है। शिकायत आवेदन पत्र की जांच के दौरान आवेदक राजकुमार शर्मा एवं आवेदक की मां जैतीन शर्मा तथा आवेदक की पत्नी श्रीमती रीता शर्मा की विधिसम्मत कथन लिया गया साथ ही शिकायत से संबंधित बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी 01. लव कुमार तिवारी पिता खगेश्वर प्रसाद तिवारी उम्र 41 वर्ष वार्ड नं.13 विष्णू मंदिर के पास जांजगीर हाल जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा बम्हनीडीह 02. खिखेन्द्र पटेल पिता स्व. तुलाराम पटेल उम्र 51 वर्ष सा. वार्ड नं. 27 शंकर नगर चांपा हाल जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा नयागढ़ 03. योगेश सिंह राठौर पिता स्व. पुनीराम राठौर उम्र 45 वर्ष सा. पुरानी बस्ती जांजगीर हाल जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा डभरा 04. अजय साहू पिता जीवन लाल साहू उम्र 45 वर्ष सा. यदुनंदन नगर बिलासपुर हाल जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा हरदी बाजार कोरबा 05. श्रीमती अंजू मिंज पति प्रविश मिंज उम्र 39 वर्ष सा. एनटीपीसी सीपत ब्रांच सीपत, जिला बिलासपुर से पृथक-पृथक पूछताछ कर कथन लिया गया, जो अपने कथन पर अनावेदकगणो द्वारा आवेदक के एवं आवेदक की मां तथा आवेदक की पत्नी की पासबुक व निकासी पर्ची लाने पर उपरोक्त दिनांक को रकम देना बताया गया है। अतः अनावेदक 01. बालेश्वर साहू समिति प्रबंधक 02. गौतम राठौर विक्रेता के द्वारा आवेदक राजकुमार शर्मा एवं आवेदक की मां जैतीन शर्मा तथा पत्नी श्रीमती रीता शर्मा का फर्जी अंगुठा हस्ताक्षर लगाकर निकासी पर्ची से छल-कपट पूर्वक एवं बेईमानी की नियत से स्वयं लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से अनावेदकगणों द्वारा किया गया कृत्य अपराध सदर धारा 420, 467, 468, 471, 34 भादवि. का होना सिद्ध पाया जाता है। आरोपीगणो के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।

Scanned with OKEN Scanner

13 Action **Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as**
(की गयी कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2.में उल्लेख धारा के तहत है |):

(1 Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया)
JAY PRAKASH GUPTA (निरीक्षक) / **Or**

(2 Directed (Name of I.O.):(जांच अधिकारी का **Rank**
No(सं.): **to take up the Investigation** (को जांच आपने पास में लेने के लिए निर्देश

(3 Refused investigation due to(जांच
or (के कारण इंकार किया या)

(4 Transferred to P.S. **District**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature/हस्ताक्षर
3/10/25

15. Date and time of dispatch to the court

Signature of Officer In Charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

3/10/25

Name JAY PRAKASH GUPTA
Rank I (Inspector)
No(सं.):

Scanned with OKEN Scanner